फर्द अहकाम

चौथी व अन्य बनाम तहसीलदार सांगानेर व अन्य

संख्याः /2025 458/25

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
02.06.2025	प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर वकील प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम अजयराजपुरा पटवार हल्का अजयराजपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जयपुर में स्थिति आराजी खाता संख्या नया 195 व पुराना 236 के खसरा नम्बरा 811 रकबा 0.3100 है0 स्थित है। जो प्रार्थीगण के कब्जे खातेदारी की कृषि भूमि रही है। उक्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि है। सेग्रगेशन के बाद उक्त आराजीयात का राजस्व रिकोर्ड व नक्शा तैयार करते समय राजस्व नक्शे में तो उक्त खसरा नम्बरान का अंकन कर दिया परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खसरा नम्बर 811 हटा दिया गया है। उक्त प्रकार की त्रुटि सेग्रीगेशन के समय राजस्व कर्मचारियों के द्वारा सहवन से हो गई है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में है। अतः निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खसरा नम्बर 811 को पुनः अंकन किया जावे। बहस वकील प्रार्थीगण व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि राजस्व ग्राम अजयराजपुरा पटवार हल्का अजयराजपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जयपुर में स्थित आराजी खाता संख्या नया 195 व पुराना 236 के खसरा नम्बरा 811 रकबा 0.3100 है0 स्थित भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि है। सेग्रगेशन के बाद उक्त आराजीयात का राजस्व रिकोर्ड व नक्शा तैयार करते समय राजस्व नक्शे में तो उक्त खसरा नम्बरान का अंकन कर दिया परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खसरा नम्बर 811 हटा दिया गया है। उक्त प्रकार की त्रुटि सेग्रीगेशन के समय राजस्व कर्मचारियों के द्वारा सहवन से हो गई है। जिसे दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि वाके ग्राम अजयराजपुरा पटवार हल्का अजयराजपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जयपुर में स्थित आराजी खाता संख्या नया 195 व पुराना 236 के खसरा नम्वरा 811 रकबा 0.3100 है0 को दिनांक 20.04.2025 को जारी जमाबन्दी में हटाया है या नही दिनांक 24.06.2020 में स्वीकृत नामान्तकरण 594 व 595 से पूर्व यदि जमावन्दी में दिनांक 24.07.2019 से पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है यदि किसी अन्य न्यायालय आदेश न हो तो। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	